जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / बैठक / 2020 / डी– 30 दिनांकः– 11/01/2021

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **157वीं बैठक दिनांक 30.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र.सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	–	157:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 156वीं बैठक दि. 08.12.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लंबित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत्।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 156वीं बैठक दिनांक 08.12.2020 कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिए गए।
2	8	157:2	पूर्व आवंटित निजी खातेदारी की आवासीय योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी के व्यावसायिक भूखण्ड सं. 73, 74, एवं 75 के विनिमय में निजी खातेदारी की आवासीय योजना मोजी विहार के व्यावसायिक भू.सं. एससी–06 क्षेत्रफल 367.06 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का पुनः विस्तृत परीक्षण कर प्रस्तुत करें।
3	9	157:3	माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत स्वीकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण के मध्य आ रही जयपुर विकास प्राधिकरण की 0.30 है. भूमि को नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने की शर्त पर आरक्षित दर + 15 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के नविवि के आदेश क्रमांक– प. 3(55)नविवि / 3 / 2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
4	9	157:4	ग्राम पंचायत सिरोली को पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर नवसृजित ग्राम पंचायत सिरोली, तहसील सांगानेर को एलपीसी की 155वीं बैठक दि.12.10.20 में लिए गए निर्णय के क्रम में ग्राम सिरोली के खसरा नंबर 534 रकबा 1.40 हेक्ट. किस्म–चारागाह में से 4000 व.मी. भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया था उसे निरस्त करते हुए उसके स्थान पर नवसृजित ग्राम पंचायत सिरोली को नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण एवं राजीव गांधी केन्द्र, पटवार भवन, पशु चिकित्सालय प्रयोजनार्थ आदि हेतु जविप्रा की निलय कुंज योजना में 4000 व.मी. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया, इस शर्त के साथ कि इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा तथा प्रकरण निःशुल्क आवंटन की अनुशंषा सहित राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
5	11	157:5	निजी खातेदारी की आवासीय योजना ''गैलेक्सी एनक्लेव'' में निजी विकासकर्ता को ग्रिड सब स्टेशन हेतु 1000 व.मी. भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की आवासीय योजना ''गैलेक्सी एनक्लेव'' में 100 फीट सडक पर पब्लिक यूटिलिटी हेतु 1697.44 वर्गगज भूमि आरक्षित है जिसमें से क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर भूमि ग्रिड सब स्टेशन हेतु JVVNL द्वारा आवेदन करने पर आवंटन करने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।
6	11	157:6	निजी खातेदारी की आवासीय योजना ''गैलेक्सी एनक्लेव'' में क्लब हाउस क्षेत्रफल 2461.22 वर्गगज भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की आवासीय योजना ''गैलेक्सी एनक्लेव'' में सुविधा क्षेत्र में से क्लब हाउस हेतु 2461.22 वर्गगज भूमि निजी विकासकर्ता को टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत् योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करना प्रस्तावित किया गया है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह पाया गया कि आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि (3 माह) में आवेदन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए आवासीय योजना "गैलेक्सी एनक्लेव" में सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 2461.22व.ग. भूमि क्लब हाउस हेतु नगरीय विकास विभाग द्वारा इस हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाकर अन्य इन्छुक व्यक्ति/संस्थाओं को योजना अनुसार आरक्षित सुविधा क्षेत्र के विस्तार हेतु आवंटन किये जाने के निर्देशों के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
7	12	157:7	13वी बटालियन आर.ए.सी (जेल सुरक्षा) को भूमि आंवटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम फतेहपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 193, 194, 195, 196, 199, 200/303, 201, 262, 263, 265/322, 266/334 किता 11 रकबा 18.21 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 13वी बटालियन आर.ए.सी (जेल सुरक्षा) बनाये जाने हेतु जी ब्लॉक में नक्शे में चिह्नीत 46412.66 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन की अनुशंषा सहित स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
8	12	157:8	नवीन राजकीय महाविद्यालय बगरू तहसील सांगानेर को कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में जविप्रा की सृजित संस्थानिक योजना में आरक्षित सुविधा क्षेत्र के भुखण्ड क्षेत्रफल 35910.50व.मी. में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार 5 एकड़ (20235 व.मी.) भूमि निःशुल्क आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण को राज्य सरकार के नविवि के आदेश कमांक–प.3 (55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.20 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
9	12	157:9	निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में EWS भूखण्ड संख्या 332(सी) के आवंटित क्षेत्रफल 44.15व.मी. में अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल 4.48 व.मी. को सम्मिलित कर आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में EWS भूखण्ड संख्या 332(सी) में अतिरिक्त बढ़ा हुआ कुल क्षेत्रफल 4.48 व.मी में से बढ़े हुए क्षेत्रफल 0.85 व.मी. EWS श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर एवं शेष क्षेत्रफल 3.63 व.मी. एलआईजी श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10	–	–	नीतिगत निर्णय	एलपीसी द्वारा द्वारा बढ़े हुए क्षेत्रफल के संबंध में लिए गए पूर्व के नीतिगत निर्णयों को अतिलंघित करते हुए 90 व.ग. तक के मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल से 20% तक जो अधिकतम 20 व.ग. से अधिक न हो तथा 90 व.ग. से अधिक भूखण्ड के क्षेत्रफल से 10% तक जो अधिकतम 100 व.ग. से अधिक न हो, के बढ़े हुए क्षेत्रफल के प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण उपायुक्त के स्तर पर किया जावे। इससे अधिक बढ़े हुए क्षेत्रफल के प्रकरणों का निस्तारण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति द्वारा किया जावे। उक्त निर्णय प्राधिकरण क्षेत्र की सभी योजनाओं यथा जविप्रा/निजी खातेदारी/गृ.न.स.समिति की योजनाओं पर लागू होगा।

सधन्यवाद् समाप्त की गई।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

परिशिष्ट-3

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 157वीं बैठक दिनांक 30.12.2020 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	LPC में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री गौरव गोयल	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	
2.	श्री ह्रदेश कुमार शर्मा	सचिव	सदस्य	
3.	श्री वी.सी. बुनकर	निदेशक (वित्त)	सदस्य	
4.	श्री वी.एस. सुंडा	अभियांत्रिकी–II	सदस्य	
5.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	अति० आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्री डॉ० गिरीश पाराशर	अति० आयुक्त (एलपीसी) एवं (पूर्व/पश्चिम)	सदस्य सचिव	
8.	श्री राजीव जैन	अति० आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	
9.	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	अति० निदेशक (राजस्व) एवं विशेषाधिकारी (आरएएडएम)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री नवल किशोर मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित	
11.	श्री अशोक कुमार योगी	उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित	
12.	श्री अबु सुफियान चौहान	उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित	
13.	श्री नरेश सिंह तंवर	उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित	
14.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित	
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }